promotion activities either by way of sale cum study tour or participation in fairs/exhibitions etc. However, these guidelines stipulate that in respect of joint market promotion activities organized by the Export Promotion Councils etc., there should be a minimum participation of five exporters. This is considered necessary in order to ensure effective representation of the industry especially keeping in view the fact that such events involve additional expenditure from public funds in meeting the cost of visit of accompanying Council officials and other common activities.

The entire thrust of the MDA scheme is to assist export promotion activities in partnership with the exporting community, and presently there is no proposal to review the guidelines stipulating participation of at least five exporters in market promotion activities organized by the Councils etc.,

MR. CHAIRMAN: Shri Lajpat Rai. Are you not interested in putting supplementaries?

SHRI LAJPAT RAI: Sir, I am satisfied with the reply given.

*228. *[The questioner (Shri Nana Deshmukh) was absent for answer vide page 30 infra.]*

*229. *[The questioners (Shri Kapil Sibal and Shri Ram Jethmalani) were absent for answer vide page 31 infra.]*

*230. *[The questioner (Shri Vijay Singh Yadav) was absent for answer vide page 32 infra.]*

Movement of farm products

*231. SHRI K. KALAVENKATA RAO:
DR. Y. LAKSHMI PRASAD:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether representatives of farmers' organizations have demanded that controls on movement of a farm products be removed and concessional import duty on farm machinery be levied; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto and the steps proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI GINGEE N.RAMACHANDRAN): (a) Yes, Sir.

(b) Government have issued Order *vide* G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002, under the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), to remove movement restrictions on Specified Foodstuffs, *viz.* wheat, paddy/rice, coarse grains, sugar, edible oilseeds and edible oils with effect from 17.3.2002. Government have also reduced the basic customs duty on agricultural machinery such as harvesters, machinery for soil preparation, machinery for grading, sorting of seeds, fruits, etc. and machinery for poultry keeping from 25% to 15% with effect from 1st March, 2002.

SHRI K. KALAVENKATA RAO: Sir, the current import duty is 35 per cent, and *vide* order dated 17th of March, 2002, the Government has removed restrictions on the movement of specified foodstuffs. Now, the Government has reduced the basic customs duty on agricultural machinery from 25 per cent to 15 per cent with effect from 1st March, 2001, which according to me, is still excessive. I would like to know whether the Government has considered the demand of farmers' organizations for concessional imports duty on agricultural machinery used by the farmers so that they are available at internationally competitive prices. What is the decision of the Government with regard to the complete abolition of excise duty?

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN: Sir, I have noted down the suggestions of the hon. Member. The Government may examine all these suggestions and take a decision.

SHRI K. KALAVENKATA RAO: Sir, my second supplementary is, whether the Government proposes to go in for the total decontrol of sugar industry and farmers-friendly national seed policy.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, as far as sugar decontrol is concerned, this has already been announced by the Government. We have said that we could go in for deregulation, but, this must be accompanied with a number of steps

so that neither the sugar-mills nor the cane growers nor the consumers are inconvenienced. I have already stated in the Budget that we are trying to build a future market for sugar. We are hoping that the future market will be ready sometime in October-November this year, and perhaps, that will be the occasion when decontrol could be taken up further. But I would like to inform the House, through you, Sir, that as a result of a number of steps which the Government has taken, sugar licencing is not a problem now. As far as the marketing is concerned, to a very large extent, deregulation and decontrol have been effected. Levy has been reduced to 10 per cent of the production; and sugar prices are also steady in the market. So, we will proceed with deregulation in the sugar sector with a kind of caution that I have mentioned.

डा॰ वाई लक्ष्मी प्रसादः सभापति महोदय, ये फसल काटने की मशीनें, भूमि तैयार करने की मशीनें, बीज आदि की ग्रेडिंग तथा छंटाई की मशीनें — ये पूरी की पूरी मशीनें किसानों से संबंधित हैं और हमारे देश के ग्रामीण गरीब परिवारों से संबंधित हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस सीमा शुल्क को घटाकर 25 परसेंट से 15 परसेंट कर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा और जानना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमारे गरीब और ग्रामीण परिवारों को सहायता के तौर पर व उनके उत्थान को ध्यान में रखते हुए क्या वे इस सीमा शुल्क को पूर्ण रूप से रद्द करने का विचार रखते हैं?

श्री यशवंत सिन्हाः सभापति महोदय, आगे की बातें तो आगे के वर्षों के बजट में तय होंगी, लेकिन इस साल के बजट में मैंने एक जनरल एप्रोच यह रखी है कि हम आयात शुल्क को दो ही रेट्स पर रखेंगे — एक 20 प्रतिशत का होगा और दूसरा 10 प्रतिशत का होगा। इस के साथ ही किस वस्तु को किस रेट पर रखना चाहिए, इस बारे में विचार करने के लिए हम ने सभी लोगों की राय मांगी है कि किस रेट पर कौनसी वस्तु रहे और जीरो रेट पर कौन सी रहे। अब उसमें एक विचारणीय विषय हर वित्त मंत्री के सामने यह होता है कि देश में किस प्रकार की मशीनें बनती हैं, कौन-कौन सी मशीनें बनती हैं और देश के उद्योग को कोई अवांछनीय क्षति न पहुंचे इस का ध्यान भी हमें रखना होता है तो इसलिए हर प्रकार की ऐसी मशीन, जो कृषि के क्षेत्र में उपयोग में आती हैं उसमें इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि कौन सी मशीन देश में बन रही है और जो देश में बन रही है उसका आयात निशुल्क हो, यह व्यवस्था करना शायद उचित नहीं होगा। जो देश के भीतर नहीं बन रही, उसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन यह भविष्य की बात है।

प्रो॰ रामगोपाल यादव: श्रीमन्, यह लगातार देखने में आता है कि एक राज्य या देश के एक हिस्से में किसान जो पैदावार करता है उसका मूल्य देश के दूसरे हिस्से में उससे कम या ज्यादा होता है। पैदावार का एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो रिस्ट्रिक्शन लागू होता है, उसकी वजह से मूल्यों में यह असंतुलन होता है और इसीलिए किसानों के संगठन लगातार यह मांग करते रहे हैं कि जो भी पैदावार होती है उसका पूरे देश में मूवमेंट फ्री होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आलू का भाव अभी जब मैंने इटावा में पता किया तो चार रुपए, पांच रुपए किलो था, लेकिन उससे एक दिन पहले दिल्ली में जब मैं सब्जी लेने गया तो यहां ग्यारह रुपए किलो मिल रहा था। मूल्यों में यह जो इम्बेलेन्स है, यह किसानों की उपज के इधर से उधर जाने पर प्रतिबंध के कारण है, उसकी वजह से है। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात से सिद्धांततः सहमत हैं कि इस तरह का रिस्ट्रिक्शन हटना चाहिए और, अगर सहमत हैं तो वह इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, मैं रामगोपाल यादव जी की बात से शत-प्रतिशत न केवल सिद्धांत में बल्कि कार्यवाही में भी सहमत हूं। किसान को अपनी पैदावार न केवल देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी, जहां उसको उसकी उपज का सबसे उचित मूल्य मिले, वहां तक ले जाने का अधिकार हो, उसमें हम सब लोग मिलकर उसकी सहायता करें, ऐसी सोच सरकार की रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले साल के बजट में मैंने इसी प्रकार की बातें रखी थीं, जिस पर सरकार ने निर्णय भी लिया और असेन्सियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत जो बहुत सारे बंधन थे, रिस्ट्रिक्शन थे, उनको हटाने का काम अभी चंद सप्ताह पहले हम लोगों ने किया है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस साल के बजट में मैंने कहा है कि हमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर उनके द्वारा लगाए गए जो दूसरे बंधन हैं उनसे भी किसानों को मुक्ति दिलानी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस बारे में माननीय सदस्य की सोच में और हमारी सोच में कोई अन्तर नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदन से सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि हम सब लोग मिलकर यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारें भी इसमें सहभागी बनें और उनके द्वारा किसानों के माल को बेचने के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको भी उठाने के लिए हम सब मिलकर एक प्रयास करें ताकि किसान को पूरी स्वतंत्रता मिले।

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, पहले जिस ट्रैक्टर को किसान के लिए वरदान मानते थे, आज उस ट्रैक्टर का अर्थशास्त्र सर्वथा किसान के खिलाफ हो गया है। किसान चाहते हुए भी आज बैंक से ट्रैक्टर के लिए लिए गए कर्ज की किस्तें चुका नहीं पाता है। उसका मन है कि वह टाइम पर यह किस्तें चुकाए, लेकिन उसको खेती से जो कुछ मिलता है, उसके आधार पर वह चुका नहीं पाता है। किसान की स्थिति ऐसी है कि वह ट्रैक्टर के लिए कोई

ड्राइवर नहीं रखता, खुद उसे ड्राइव करता है, उसके परिवार के लोग उसको मेण्टेन करते हैं, डीजल की कीमतें जो इधर से उधर होती हैं उससे भी उसे नुकसान होता है। अगर किसान ईमानदारी से पेमेण्ट करने की कोशिश भी करता है तो फिर उसकी असेट्स नहीं रहती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, यहां मैंने खाली ट्रैक्टर का नाम लिया, लेकिन खेती के काम आने वाली हर मशीन पर यह बात लागू होती है, ऐसी स्थिति में क्या केन्द्र सरकार, जो ईमानदारी से आपका कर्जा चुकाना चाहते हैं उस समूह के साथ और राज्य सरकारों के साथ मिलकर, ऐसा कोई संवाद स्थापित करेगी कि इस दिशा में उसको अधिक से अधिक सुविधा मिल सके और वह अपने सिर का कर्जा उतार सके क्योंकि अब तो वह ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जब उनके ट्रैक्टर आपको जब्त करने पड़ेंगे? उनकी मशीनें ज़ब्त करनी पड़ेंगी क्योंकि बैंकों के कर्ज वसूल करने के तौर-तरीके नए आ रहे हैं, तब क्या आपने कभी इस बारे में भी सोचा है? एक चिंता तो मेरी यह है।

एक और मेरी चिंता है और उसके समाधान के लिए भी मैं आपकी सहायता और अगुवाई चाहता हूं। मूल बात यह है कि क्या हम राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रेरित कर सकेंगे, क्या हम राज्य सरकारों को इस बात के लिए तैयार कर सकेंगे कि जिस तरह से केन्द्र सरकार के पास एक कृषि मूल्य आयोग बना हुआ है, वैसे ही राज्य सरकारें भी राज्य स्तर पर कृषि की चिंताओं से जुड़ा हुआ कोई आयोग बना सकें ताकि जिन लोगों को आप किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर यहां बुलाते हैं अगर वे नहीं आ पाएं तो वे अपना होम वर्क वहीं राज्यों में कर लें और राज्य सरकारों के माध्यम से आप तक वे बातें पहुंच सकें? इस दिशा में वित्त मंत्रालय और केन्द्र सरकार का चेतना जैसा काम करने वाला यह तंत्र क्या सोचता है, इसकी मैं थोड़ी-सी आपसे व्याख्या चाहता हूं और चाहता हूं कि आप कृपा करें और इस दिशा में कुछ अपना मन स्पष्ट करने की कोशिश करें?

श्री यशवंत सिन्हा : सभापति महोदय, ट्रैक्टर या दूसरे संबंधित ऋण, जो राज्य सरकारों से संबंधित हैं, उस बारे में जो प्रश्न माननीय सदस्य बालकवि बैरागी जी ने उठाया है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो क्रेडिट है वह हमारे फारमर्स तक पहुंचे, आपको याद होगा, सभापति जी, और सदन को भी याद होगा कि पिछले साल के बजट में मैंने 64,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था जो कि हम बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में किसानों तक पहुंचाना चाहते थे और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हम 31 मार्च तक इस लक्ष्य की पूर्ति कर सकेंगे, ऐसा आश्वासन मुझे बैंकों के द्वारा दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमने 75,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि हम उस लक्ष्य को भी हासिल करें।

इसके अलावा, सभापति महोदय, सदन अवगत है कि मैंने 1998 में एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई थी। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वह योजना काफी सफल हुई है और 31 दिसम्बर, 2001 तक 2,07,00,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी थी और इससे प्रोत्साहित होकर लघु उद्यमियों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था करने की घोषणा की गई है। तो किसानों तक यह पहुंचे, ऐसा सरकार चाहती है।

अब रही बात यह कि किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कभी प्राकृतिक प्रकोपों के चलते उनकी फसल मारी जाती है, इसके लिए इस साल के बजट में मैंने कहा है कि इंश्योरेंस की व्यवस्था को, बीमा-व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त करने के लिए अलग से एक कृषि फसल बीमा निगम हम बनाएंगे a separate corporation for agriculture crop insurance alone यह भी हम करने जा रहे हैं। उसके अलावा जहां तक उनके लोन का सवाल है, तो जो छोटे किसान हैं और जिन्होंने 50,000 रुपए तक का मूल कर्ज लिया है, उसके बारे में मैंने इस बजट में घोषणा की है और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये इंस्ट्रक्शन्स इश्यू कर दी हैं कि वे उतने ही सूद की राशि देकर उसको सैटल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर उन्होंने 50,000 रुपया कर्ज के रूप में लिया है और उस पर चक्रवृद्धि दर से ब्याज बढ़ते-बढ़ते वह डेढ़ लाख, दो लाख, पांच लाख तक चला गया है तो वे 50+50 पर उसको सैटल कर सकते हैं और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर किसानों को इससे अवगत कराएं ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। जहां तक बड़े ऋण का सवाल है क्योंकि ट्रैक्टर जो खरीदेगा वह बड़ा ऋण लेगा और शायद बड़ा किसान होगा, उसकी समस्या का जहां तक सवाल है, उसके बारे में यदि कोई खास बिन्दु है ..(**व्यवधान**)..

श्री बालकवि बैरागी: आज आप ट्रैक्टर खरीदने वाले जिस किसान को बड़ा किसान मानते हैं, वह भी बहुत बड़ा किसान नहीं है और अभी भी या तो मार्जिनल या मध्यम वर्गीय किसान है, आपको इस पूरी स्कीम पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके अपने बैंक वालों को, मंत्रालय वालों को बैठाकर आप इस पर सोचें।

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति जी, मैं बालकवि बैरागी जी के साथ भी बैठने को तैयार हूं। हम लोगों ने एक 50,000 की सीमा तय की है। ..(**व्यवधान**).. मैं यह कह रहा हूं कि अगर इस पर सदन अपना अभिमत व्यक्त करे और अगर वे समझते हैं कि स्माल एंड मार्जिनल फारमर ज्यादा भी लोन लेता है तो हम उस पर भी विचार करने को तैयार हैं, अगर ऐसा सुझाव हमारे पास आता है।

श्री बालकवि बैरागी: 50,000 रुपए का तो कोई मतलब नहीं है।

श्री यशवंत सिन्हा: मतलब है, 50,000 रुपए कोई इतनी छोटी राशि नहीं है। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं और मैंने देखा है कि 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए या 50,000 रुपए तक के ऋण लेने वालों की संख्या बहुतायत में है। इसीलिए हम लोगो ने 50,000 रुपए को cut-off amount फिक्स किया था। जहां तक राज्य सरकारों का प्रश्न है, भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि के क्षेत्र में काम कर रही है क्योंकि कृषि तो स्टेट सब्जैक्ट है। अतः हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य का जो सुझाव है कि राज्य सरकार भी आयोग बनाए और फिर उनके माध्यम से विचार करे और भारत सरकार के साथ उनका तालमेल हो, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ऐसा विषय है जिसको suggestion for action कहते हैं। राज्य सरकारें बहुत खुशी से इस काम को कर सकती हैं, उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है बल्कि उससे एक व्यवस्था बन जाएगी जिसमें हम भी उनके साथ चर्चा कर सकेंगे।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Sir, in reply to one part of the question, the hon. Minister has stated, "The Government have also reduced the basic customs duty on agricultural machinery such as harvestors, machinery for soil preparation, machinery for grading, sorting of seeds, fruits, etc..." Sir, in the agricultural sector, the small farmers, the landless farmers and the farm labour are three factors. I feel that this part of the reply needs to be reviewed by the hon. Minister because, Sir, if you give the opportunities to the multinationals and big manufacturers to import these things, say, the harvestors, agricultural machinery, soil preparation machinery, etc., which are manufactured by the small-scale manufacturers of the country for which the raw materials are abundantly available, the mad rush for blind import of these machineries will, certainly, never benefit the small farmers; it will, in fact, destroy the small manufacturers and it will also affect the earnings of landless labourers and the farm labour. Has the hon. Minister considered this aspect before deciding to allow this blind import and reduction in the customs duty?

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, this is the danger to which I was pointing out a little while earlier when one of the hon. Members was asking me whether we would consider reducing the import tariff to zero per cent. And, here, we have another hon. Member who is expressing concern about the various other stakeholders in the area

of agriculture. And, it is a very legitimate concern. This is the concern which I had also expressed, when I was replying to that supplementary of the hon. Member, that in fixing the import duties, we have to keep in mind the factor of domestic production; and I would like to assure the hon. Member, Ramoowaliaji, that there is no question of blind imports; the imports are already permissible because we have removed the quantitative restrictions. The last of the trade barriers is gone. It is only a question now of fixing the import tariff and we have brought down the import tariff from 25 per cent to 15 per cent. We will continue to watch the imports of these items, and see what is happening; as, indeed, Sir, the Commerce Ministry is watching the import of 300 sensitive items regularly. They are monitoring the imports, and we have taken other steps in this Budget to make sure that unrestricted imports do not take place, that we have the safeguard mechanism, that we have the anti-dumping mechanism in order to be able to tackle the problem. So the Government will continue to be very, very cautious with regard to imports. Despite liberalisation, we will continue to watch over the interests of the Indian industry and take only such steps which would harmonise the interests of the consumer and the interests of the Indian industry. That is the general approach and I would like to reiterate it.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Social Sector Expenditure

*222. SHRI C.O. POULOSE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the percentage of GDP on social sector expenditure during the period 1981-1991 and 1991-2001, separately;

(b) the comparative figures of the same with the East Asian countries during the above period;

(c) whether it is a fact that our public spending on social sector has declined;

(d) if so, the reasons therefor;